

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड
भारत सरकार का उद्यम
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7 लोधी रोड, नई दिल्ली-110003
दूरभाष: 24365161 फैक्स: 24360644
ई-मेल: reccorpo@recl.nic.in वेबसाइट: www.recindia.nic.in

संख्या आरईसी/आईटी/93/कंप्यूटर(स्क्रेप)/2008/648

दिनांक : 02.09.2011

कारपोरेट वेबसाइट

सेवा में,

| क्रम सं. | नम | कार्यालय का पता | | फैक्स |
|----------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------|
| 1. | मैसर्स सचदेव एंड कंपनी | बी-88, टैगोर गार्डन एक्सटेंशन | नई दिल्ली | |
| 2. | श्री प्रेम कुमार | 7/25, गुप्ता मार्किट | लाजपत नगर, नई दिल्ली | |
| 3. | श्री मोहम्मद सबरीन | डी-2/72, मायापुरी | फेस-II, नई दिल्ली-64 | |
| 4. | श्री आर.के. सोनी | ब्लॉक नं.7, मकान 54, निर्मल पुरी | लाजपत नगर, नई दिल्ली | |
| 5. | श्री अमिल मलिक | 3194, तुर्कमान गेट, | दिल्ली | |
| 6. | श्री अशोक कपूरिया | बी-113, पॉकेट-II] | डीडीए मार्किट, जसोला, नई दिल्ली | |
| 7. | मैसर्स आर.के ट्रेडर्स | 103, जमरूदपुर | नई दिल्ली | |
| 8. | श्री इंद्रजीत सिंह | डी-2/76, मायापुरी | फेस- II, नई दिल्ली | |
| 9. | श्री बी.एस. चावला | डी-1/91, मायापुरी | फेस- II, नई दिल्ली-64 | |
| 10 | मैसर्स वर्द्धमान स्टील ट्रेडर्स | 10502/2, सदर थाना रोड | मोतियाखान, नई दिल्ली | |
| 11 | श्री सुनील कुमार जैन | डी-2/22, मायापुरी, | फेस- II, नई दिल्ली | |
| 12 | श्री पी.एस.बत्रा | ए-32, टैगोर गार्डन एक्सटेंशन | नई दिल्ली | |

| | | | | |
|----|---|---|--|-------------------------------|
| 13 | श्री अमिल मलिक | 3194, तुर्कमान गेट | दिल्ली .6 | |
| 14 | एआईएम कंसल्टेंट्स प्रा. लि. | 1521 (प्रथम मंजिल), भीष्म पितामह मार्ग, कोटला मुबारकपुर | (डिफेंस कालोनी के सामने)नई दिल्ली-110003 | फैक्स: 26165586 |
| 15 | पीसीएस टेक्नोलॉजी लि. | 75, अमृत नगर, एनडीएसई, भाग-1, | साउथ एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110003 | फैक्स: 01124657836 |
| 16 | मैसर्स एचसीएल इन्फोसिस्टम लि. | जी-8, 9 और 10, सेक्टर 3 | नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301 | फैक्स: +951202522324 |
| 17 | पीसी साल्ज़्यूशन प्रा. लि. | 12, संत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, | नई दिल्ली-110065 | फैक्स: 911126476822 |
| 18 | मैसर्स मिल्लेनियम आटोमेशन एण्ड सिस्टम्स लिमिटेड | ई-48/9, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, | फेस- II, नई दिल्ली-110020 | फैक्स: 011-26387918, 26387919 |
| 19 | ऐरोसिस इन्फोटेक प्रा. लि. | बी-43, सोमदत्त चेम्बर-II, | भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-66 | |
| 20 | कालसॉफ्ट प्रा.लि. | ए-213, शांति गोपाल चेम्बर, | विकास मार्ग शकरपुर, दिल्ली-1100092 | |
| 21 | मैसर्स गैलेक्सी इनफोसिस्टम | 95, दूसरी मंजिल, भगवान नगर, आश्रम | नई दिल्ली-14 | |
| 22 | मैसर्स रेलिगर टेक्नोवा आईटी सर्विसेज लि. | जी वाई एस यूनिवर्सल, प्लॉट नं.ए 3/4/5, चौथा तल हाउस, | सेक्टर:125, नोयडा | |
| 23 | मैसर्स सीसीएस कंप्यूटर्स प्रा. लिमिटेड | तीसरी मंजिल, स्किपर हाउस, 62-63 | नेहरु प्लेस, नई दिल्ली-1100019 | |
| 24 | मैसर्स कंप्यूटर वेयर इंडिया प्रा.लि. | सी-1/बी, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, अरबिंदो मार्ग | नई दिल्ली-110016 | |

"ऐसे बोलीदाताओं के लिए आरईसी की वेबसाइट के माध्यम से यह सूचना खुली है, जो पूर्व योग्यता के मापदंड को पूरा करते हों"

विषय: आरईसी के कारपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली में उपलब्ध पुराने और अप्रचलित कंप्यूटर प्रणाली, लैपटॉप, प्रिंटर, यूपीएस/सीवीटी आदि का "जहां है, जैसा है" के आधार पर निपटान के लिए दरों का उल्लेख करने के लिए अनुरोध।

प्रिय महोदय/महोदया,

आरईसी लिमिटेड (भारत सरकार का एक उद्यम) टेंडर दस्तावेज में उल्लिखित पुराने और अप्रचलित कंप्यूटर प्रणाली, लैपटॉप, प्रिंटर, यूपीएस/सीवीटी आदि का "जहां है, जैसा है" के आधार पर निपटान करने के लिए आपके संगठन से मुहरबंद टेंडर आमंत्रित करता है। शर्तें, प्रस्तुत की जाने वाली अग्रिम जमा राशि और अन्य विवरणों सहित टेंडर के विवरण, हमारे कारपोरेट की वेबसाइट www.recindia.nic.in पर उपलब्ध टेंडर संबंधी दस्तावेजों में दिए गए हैं। सभी उपस्कर आरईसी के कारपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली में रखे गए हैं। आपसे अनुरोध है कि आप अपने प्रस्ताव अपर महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी) को संबोधित करते हुए दिनांक 13.09.2011 के 14:30 बजे तक अवश्य भेज दें।

भवदीय,

ह./- पी.के. मुखोपाध्याय

अपर महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)

अनुलग्नक : नीलामी सूचना/ टेंडर दस्तावेज

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

कोर 4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003

दूरभाष : 011-24365161 और 41020101, फैक्स: 011-24360644

वेबसाइट: www.recindia.nic.in

सीमित टेंडर सं.: आरईसी/आईटी/93/ कंप्यूटर (स्कैप)/2008/648

पुराने और अप्रचलित कंप्यूटर प्रणाली, लैपटॉप
प्रिंटर, यूपीएस/सीवीटी आदि के
निपटान के लिए
टेंडर

| | | |
|---|---|---|
| जारी करने की तारीख | : | 02.09.2011 |
| उपस्करों को देखने की तारीख और समय | : | 07.09.2011 से 09.09.2011 (14:00 बजे से 16:00 बजे तक) |
| बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख और समय | : | 13.09.2011 (14:30 बजे) |
| बोली खोलने की तारीख और समय | : | 13.09.2010 (15:30 बजे) |

टेंडर दस्तावेज

विषय: आरईसी के कारपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली में उपलब्ध पुराने और अप्रचलित कंप्यूटर प्रणाली, लैपटॉप, प्रिंटर, यूपीएस/सीवीटी आदि का "जहां है, जैसा है" के आधार पर निपटान हेतु दरों का उल्लेख करने के लिए अनुरोध

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (भारत सरकार का एक उद्यम) अनुबंध-III में दिए गए टेंडर दस्तावेज में उल्लिखित पुराने और अप्रचलित कंप्यूटर प्रणाली, लैपटॉप, प्रिंटर, यूपीएस/सीवीटी आदि का "जहां है, जैसा है आधार पर" निपटान करने के लिए बोलीदाताओं से मुहरबंद टेंडर आमंत्रित करता है। ये सभी उपस्कर आरईसी के कारपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली में रखे हुए हैं। आपसे अनुरोध है कि आप हमें सरकारी संगठनों को दी जाने वाली सर्वोत्तम दरें देने की कृपा करें।

बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज

1000/- रुपए की अग्रिम जमा राशि

1. यह राशि किसी प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंक/अनुसूचित बैंक द्वारा "रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड" (आरईसी) के पक्ष में जारी किए गए नई दिल्ली में देय आदाता के खाते में जमा किए जाने वाले डिमांड ड्राफ्ट/अदायगी आदेश के माध्यम से बोली दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
2. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित निम्नलिखित दस्तावेज बोली के साथ संलग्न किए जाने चाहिए:
 - क. बोली फार्म (अनुबंध-I में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार)
 - ख. शर्तों का अनुपालन (अनुबंध-II में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार)
 - ग. हस्ताक्षरित बोली दस्तावेज
3. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित वाणिज्यिक बोली (अनुबंध-IV में दिए गए फॉर्मेट के अनुसार)

अग्रिम जमा राशि और वाणिज्यिक बोली तथा अन्य अपेक्षित दस्तावेज एक लिफाफे में सीलबंद किए जाएंगे, जिसके ऊपर टेंडर संख्या और नियत तारीख का उल्लेख किया गया हो और जो उप महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी), रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 को संबोधित किया गया हो। यह टेंडर आरईसी के कारपोरेट कार्यालय के मुख्य स्वागत कक्ष में रखे गए ड्रॉप बॉक्स में डाले जाने चाहिए। इस लिफाफे के उपर्युक्त अनुसार टेंडर नंबर का लेबल लगाया जाना चाहिए और इसे उपर्युक्त तारीख अर्थात् 14.09.2011 के 14:30 बजे को या उससे पहले ड्रॉप बॉक्स में डाला जाना चाहिए। कृपया नोट करें कि यदि यह बोली किसी अन्य स्थान पर प्रस्तुत की जाती है और यह हमें उपर्युक्त पते पर नियत तारीख और समय पर प्राप्त नहीं होती, तो इसके लिए आरईसी जिम्मेदार नहीं होगा। नियत तारीख और समय तथा नियत स्थान से भिन्न स्थान पर प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें बिना कोई कारण बताए रद्द कर दिया जाएगा। किसी बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की गई बोली के विलंब से प्राप्त होने के लिए आरईसी जिम्मेदार नहीं होगा। बोलीदाता बोली खोलने के समय पर अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों को वहां भेज सकता है।

बोली फार्म

(बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे इस खंड में दिए गए फारमेट में बोली फार्म प्रस्तुत करें और उसे भली-भांति भरें)

सेवा में,

अपर महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी),
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7 लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

प्रिय महोदय,

बोली दस्तावेजों की जांच करने पर हम अधोहस्ताक्षरी आरईसी के कारपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली में रखे गए टेंडर दस्तावेजों में उल्लिखित पुराने और अप्रचलित कंप्यूटर प्रणाली, लैपटॉप, प्रिंटर, यूपीएस/ सीवीटी आदि का "जहां है, जैसा है आधार पर" निपटान संबंधी कार्य को करने के लिए अपने दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं।

हम वर्तमान वित्तीय वर्ष (2011-12) अर्थात् 31.3.2012 तक के लिए इस बोली दस्तावेज का पालन करने के लिए सहमत हैं और इस प्रस्ताव में दी गई शर्तें उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से पहले किसी भी समय स्वीकार किए जाने के लिए प्रभावी रहेंगी और हम पर आबद्धकर होंगी।

हम, 1000/- रुपए (केवल एक हजार रुपए) की अग्रिम जमा राशि आदाता के खाते में जमा किए जाने वाले डिमांड ड्राफ्ट/अदायगी आदेश, जो "रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड के पक्ष में नई दिल्ली में देय है, प्रस्तुत कर रहे हैं। आवेदन राशि अग्रिम जमा का विवरण इस प्रकार है

पक्षकार का नाम

अग्रिम जमा राशि (रूप
.....)

जारीकर्ता बैंक डिमांड ड्राफ्ट/ अदायगी आदेश
सं.....

दिनांक

आरईसी द्वारा लिखित रूप में स्वीकार की गई बोली और कार्य सौंपे जाने का आदेश/ अधिसूचना
हमारे और आरईसी के बीच की जाने वाली संविदा आबद्धकर होगी।

हम भली भांति समझते हैं कि आरईसी को यह अधिकार है कि वह बिना स्पष्टीकरण दिए या कारण
बताए किसी/ सभी बोली (बोलियों) को स्वीकार/ अस्वीकार कर सकता है और इस संबंध में
आरईसी के प्रबंधक वर्ग का निर्णय अंतिम होगा और सभी बोलीदाताओं पर आबद्धकर होगा।

तारीख :

हस्ताक्षर :

(पदनाम)

के लिए और की ओर से इस बोली पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत
(बोलीदाता का नाम और पता)

(कृपया कार्यालय की सील लगाएं)

अनुलग्नक :

1. अग्रिम धन राशि
2. वाणिज्यिक बोली
3. शर्तों का अनुबंध

शर्तें

क्र.सं.

मद

1. नियत तारीख और समय के बाद प्रस्तुत किए गए टेंडर रद्द कर दिए जाएंगे। आपकी दरें स्पष्ट रूप से पठनीय होनी चाहिए और उस पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित दरों में मिटाए गए या परिवर्तित की गई दरों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए।
2. अनुबंध-III के अनुसार मदें (जो आरईसी के कारपोरेट कार्यालय नई दिल्ली में रखी गई हैं) सफल बोलीदाताओं को एक बार में ही दे दी जाएंगी। इसलिए खंडों में दी गई दरों पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. यदि बोलीदाता चाहे तो वह आरईसी में आकर उपस्करों को देख सकता (सकते) है (हैं)। लेकिन वे नीलामी नोटिस में दी गई तारीख और समय के दौरान ही ऐसा कर सकेंगे और वे उन दरों के संबंध में अपना समाधान कर सकते हैं, जिनके लिए वे बोली दे रहे हैं। उपस्करों के रूप, प्रकृति या गुणता के बारे में किसी विवाद पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. बोलीदाता के संबंध में यह समझा जाएगा कि अनुबंध-III में उल्लिखित मात्रा के संबंध में उन्होंने अपना समाधान कर लिया है। समस्त मदें एक ही बार में बेची जाएंगी और टेंडर को अंतिम रूप दिए जाने के बाद मात्रा कम होने के बारे में किसी विवाद पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. आरईसी के कारपोरेट कार्यालय, नई दिल्ली में उपलब्ध सभी मदों के संबंध में केवल एकल बोली की दरें दी जानी चाहिए। अलग-अलग बोलियां नहीं दी जानी चाहिए।
6. मदें उच्चतम बोलीदाता को बेची जाएंगी।
7. अग्रिम जमा राशि

1. बोलीदाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे आदाता के खाते में जमा किए जाने वाले डिमांड ड्राफ्ट/ अदायगी आदेश के रूप में टेंडर दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट दरें या रकम अग्रिम जमा राशि के रूप में जमा करेंगे।
2. जब सफल बोलीदाताओं को कार्य आदेश दिए जाने के बाद असफल पक्षकारों की अग्रिम जमा राशि वापस की जाएगी।
3. अग्रिम जमा राशि पर आरईसी द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
4. सफल बोलीदाताओं की अग्रिम जमा राशि को उनके बिलों में समायोजित किया जाएगा।
5. प्रत्येक मामले में नई अग्रिम राशि जमा की जाएगी। आरईसी के पास पड़ी किसी रकम से अग्रिम जमा राशि का समायोजन करने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. एक दर के मामले की अग्रिम जमा राशि किसी अन्य दर पर अंतरित या समायोजित नहीं की जाएगी।
8. सफल बोलीदाताओं को एक बार दी गई मदें किसी भी स्थिति में आरईसी द्वारा वापस नहीं ली जाएंगी।
9. सफल बोलीदाता शेष रकम आदाता के खाते में जमा किए जाने वाले किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आरईसी से पुष्टि/आदेश प्राप्त होने के **3 कार्यदिवसों** के अंदर अदा करेगा। यह रकम आरईसी लिमिटेड के पक्ष में नई दिल्ली में देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से अदा की जाएगी। ऐसा न करने पर यह प्रस्ताव रद्द हो जाएगा और संपूर्ण अग्रिम जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।
10. सफल बोलीदाताओं से अपेक्षा की जाएगी कि वे शेष धनराशि की अदायगी करने के बाद सभी मदें निपटान स्थल (आरईसी, नई दिल्ली) से **दो दिन के अंदर** उठा कर अपने परिसर में ले जाएं। ऐसा न करने पर आरईसी को अधिकार है कि वह बोलीदाता की संपूर्ण बोली

रकम को जब्त कर सकता है। इस मामले में आरईसी वैकल्पिक बोलीदाता को इन मदों का निपटान कर सकता है।

11. यह सामग्री हमारे कार्य सौंपे जाने संबंधी पत्र के अनुसार उपर्युक्त कार्यालय पते से केवल कार्यदिवसों में 10.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न के बीच उठाने दी जाएगी। निपटाई गई सामग्री को परिसरों में छांट कर चुनने अथवा पसंद करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
12. मजदूरों, परिवहन और अन्य की व्यवस्थाएं बोलीदाता द्वारा अपने जोखिम, लागत और जिम्मेदारी पर की जाएंगी।
13. यदि मदों को उठाने के दौरान कार्यालय की संपत्ति को कोई हानि या नुकसान होता है तो इसे संबंधित क्रेता की लागत पर ठीक किया जाएगा।
14. वाणिज्यिक बोली का उल्लेख अंकों और शब्दों, दोनों में किया जाना चाहिए। आंकड़ों में लिखे हुए पर लिखना या उन्हें मिटाना या उसमें किसी प्रकार की विसंगति के होने पर उस पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे मामले में शब्दों में दी गई दरों पर विचार किया जाएगा।
15. टेंडर दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाता (बोलीदाताओं) द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और अपूर्ण तथा बिना हस्ताक्षर वाली दरें रद्द कर दी जाएंगी।
16. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोली प्रस्ताव में उल्लिखित कीमतें बोली दस्तावेज में उल्लिखित शर्तों के अनुसार हैं और इसमें सभी कर शामिल हैं।

17. विवाद का निपटान

पक्षकारों के बीच उठे किसी भी प्रकार के विवाद (विवादों) या मतभेद (मतभेदों) के उत्पन्न होने पर ये पक्षकार इसके सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए बातचीत करेंगे और आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा नियुक्त समिति के माध्यम से इसका निपटान करेंगे।

यदि किसी एक पार्टी से नोटिस प्राप्त होने के बाद 30 दिन के अंदर पक्षकारों के बीच कोई सौहार्दपूर्ण समाधान या निपटान नहीं हो पाता है, तो ऊपर बताए गए विवादों/मतभेदों को

आरईसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र माध्यस्थम द्वारा निपटाए जाने के लिए उसे भेजा जाएगा।

माध्यस्थम की कार्यवाही विद्यमान माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 और यथासंशोधित भारतीय कानूनों या समय-समय पर बनाए गए अधिनियमों के अनुसार की जाएगी।

माध्यस्थम का स्थान नई दिल्ली, भारत होगा। मध्यस्थ का शुल्क और अन्य प्रभार इस अधिनियम के अनुसार मध्यस्थ द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और उन्हें दोनों पक्षकारों द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा।

मध्यस्थ तर्क और कारण देते हुए निर्णय देगा। पक्षकार माध्यस्थम की कार्यवाही के दौरान लंबित पड़े मामले के ब्याज के हकदार होंगे।

न्यायालय के माध्यम से निपटान

इस संविदा की शर्त यह है कि बोलीदाता तब तक किसी विवाद या मतभेद का निपटान करने के लिए किसी न्यायालय में नहीं जाएगा जब तक माध्यस्थम के माध्यम से ऐसे विवादों या मतभेदों को निपटाने के लिए पक्षकारों द्वारा पहले कोई प्रयास नहीं किया गया हो।

न्यायालय का क्षेत्राधिकार

इस संविदा के अधीन पक्षकारों के बीच हुए मुकदमों का परीक्षण करने और उन पर विचार करने का एकमात्र क्षेत्राधिकार दिल्ली के न्यायालयों का है।

18. **आरईसी के अधिकार :** आरईसी को यह अधिकार है कि वह बिना कोई कारण बताए किसी मद या उसके भाग को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है।
19. उपर्युक्त बातों के होते हुए आरईसी का यह एकमात्र विवेक होगा कि वह बिना कोई कारण बताए दी गई किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। किसी पक्षकार विशेष को कार्य/संविदा नहीं सौंपे जाने के बारे में उत्पन्न विवाद या विवादों को उपर्युक्त विवादों के निपटान वाले खंड के अनुसार माध्यस्थम के लिए नहीं भेजा जाएगा।

20. ठेकेदार/ क्रेता ऐसी सभी हानियों, विघटनों या क्षतियों के लिए आरईसी की क्षतिपूर्ति करेगा, जो ठेकेदार/ उसके कर्मचारियों/ एजेंटों या उप-ठेकेदारों की लापरवाही या भूल-चूक के कारण किसी व्यक्तिको चोट पहुंचने या उसकी मृत्यु होने जैसा नुकसान होता है।
21. कार्य में ठेकेदारों को समनुदेशिती को अंतरित या उप-प्रत्यायोजित नहीं किया जाएगा बशर्ते कि उसके संबंध में आरईसी से लिखित अनुमोदन प्राप्त न हो गया हो।
22. अपर महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी), आरईसी, नई दिल्ली इस कार्य के लिए प्रभारी अभियंता होगा और उनका निर्णय अंतिम होगा और इस टेंडर/संविदा से संबंधित किसी मामले के बारे में आबद्धकर होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर :

नाम और पदनाम :

कंपनी की सील

अनुबंध-III

मरम्मत न किए जा सकने योग्य/अप्रचलित पीसी, लैपटॉप और उससे संबंधित मदें (प्रिंटर, यूपीएस/सीवीटी, आदि) जो रद्दी के रूप में निपटान किए जाने के लिए भंडार में उपलब्ध हैं

| क्रम सं. | मद का विवरण/मॉडल मेक/ मॉडल | कुल मात्रा |
|----------|--|------------|
| 1. | पर्सनल कंप्यूटर एचपी कंपैक पी-IV (जिसमें टीएफटी मॉनिटर, की-बोर्ड और माउस शामिल है) | 2 संख्या |
| 2. | पर्सनल कंप्यूटर आईबीएम पी-IV (जिसमें टीएफटी मॉनिटर, की-बोर्ड और माउस शामिल है) | 2 संख्या |
| 3 | पर्सनल कंप्यूटर एचसीएल पी-IV (जिसमें पारंपरिक मॉनिटर, की-बोर्ड और माउस शामिल है) | 3 संख्या |
| 4. | पर्सनल कंप्यूटर एचसीएल पी-III इनफिनिटी (जिसमें पारंपरिक मॉनिटर, की-बोर्ड और माउस शामिल है) | 4 संख्या |
| 5. | लैपटॉप - तोशीबा सैटेलाइट | 7 संख्या |
| 6. | लैपटॉप - कंपैक | 1 संख्या |
| 7. | लैपटॉप - सोनी वैवो | 1 संख्या |
| 8. | एचपी लेजरजेट 1300 | 1 संख्या |
| 9. | एचपी कलर लेजरजेट 3700 | 2 संख्या |
| 10. | एचपी कलर लेजरजेट 2840 | 1 संख्या |
| 11. | एचपी डॉट मेट्रिक्स एलक्यू 1050 डीएक्स | 3 संख्या |
| 12. | एचपी लेजरजेट 4050 एन | 1 संख्या |
| 13. | एचपी लेजरजेट 5 | 1 संख्या |

| | | |
|-----|--------------------|-----------|
| 14. | यूपीएस - यूनिलाइन | 15 संख्या |
| 15. | यूपीएस - सिग्नल | 3 संख्या |
| 16. | यूपीएस - एपीसी 800 | 6 संख्या |
| 17. | यूपीएस - एपीसी 650 | 4 संख्या |
| 18. | यूपीएस - विविध | 2 संख्या |
| 19. | सीवीटी | 7 संख्या |
| 20. | फायरवैल - वाचगार्ड | 1 संख्या |

टिप्पणी आरईसी की लेखा बहियों के अनुसार उपर्युक्त सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी परिसंपत्तियों का मूल्य रू.1,26,100/- है।

सेवा में,

अपर महाप्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी),
 रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,
 कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7 लोधी रोड,
 नई दिल्ली-110003
 फैक्स नं. अ91-11-24362483

अप्रचलित कंप्यूटर हार्डवेयर प्रणाली, प्रिंटर आदि के निपटान के लिए

वाणिज्यिक प्रस्ताव (भारतीय रुपए में)

बोलीदाता का नाम और पता :

.....

(स्पष्ट अक्षरों में)

टेलीफोन/मोबाइल नंबर :

.....

अग्रिम जमा धन का विवरण

बैंक

ड्राफ्ट/पे

आर्डर

संख्या

:

.....

रकम

:

.....

मैं/हम दरों का उल्लेख करते हैं:

मैंने/हमने रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली में स्थित कंप्यूटर हार्डवेयर प्रणाली को देख लिया है और मैं/हम "जहां है जैसा है" आधार पर उसे खरीदने का इच्छुक हूं/के इच्छुक हैं। मदों के लिए मेरा/हमारा प्रस्ताव इस प्रकार है

अनुबंध-III में दी गई संपूर्ण मदों के लिए मेरा/हमारा पूरा और कुल प्रस्ताव रुपए का है (जिसमें सभी कर, शुल्क, लेवी, यदि कोई हो, शामिल हैं),

अर्थात्

(शब्दों

केवल

.....
..... रूप) (जिसमें सभी कर, शुल्क, लेवी, यदि कोई हो, शामिल हैं)।

मैंने/हमने टेंडर दस्तावेज में दी गई शर्तों को पढ़ लिया है और मैं/हम उससे सहमत हूँ/हैं।

मैं/हम भली भांति समझते हैं कि टेंडर की शर्तों का पालन न करने की स्थिति में मेरे/हमारे अग्रिम जमा धन को रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जब्त कर लिया जाएगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर:

नाम और पदनाम :

स्थान :

दिनांक :

कंपनी की सील

शुद्धि-पत्र

पुराने और अप्रचलित कंप्यूटर प्रणाली, लैपटॉप, प्रिंटर, यूपीएस/सीवीटी आदि के निपटान के लिए टेंडर संख्या सीमित टेंडर संख्या आरईसी/आईटी/93/कंप्यूटर(स्कैप)/2008/648 सीमित टेंडर संख्या आरईसी/आईटी/93/कंप्यूटर(स्कैप)/2008/648 दिनांक 02/09/2011

अतिरिक्तखंड

अनुबंध-II : शर्तें

23) सफल बोलीदाता को सामग्री उठाने से पहले प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित फर्म के पत्र शीर्ष पर नीचे दिए गए अनुसार लिखित वचनपत्र प्रस्तुत करना होगा:

तारीख :

सेवा में,

कार्यकारी निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी),
रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड,
कोर-4, स्कोप कांप्लेक्स, 7 लोधी रोड,
नई दिल्ली-110003

विषय: खतरनाक कचरा के संबंध में पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी (प्रबंधन, रखरखाव और चारदीवारी से बाहर ले जाने) नियमावली, 2008 के अनुपालन के संबंध में वचनपत्र।

मैं/हम एतद्द्वारा वचन देता हूं/देते हैं कि मैं/हम टेंडर संख्या आरईसी/आईटी/93/कंप्यूटर(स्कैप)/2008/648 दिनांक 02.09.2011 के अधीन आरईसी से ली गई किसी भी सामग्री के रखरखाव और/या उपयोग करते समय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर

यथासंशोधित (प्रबंधन, रखरखाव और चारदीवारी से बाहर ले जाने) नियमावली, 2008 (जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कचरा शामिल है) का अनुपालन करूंगा/करेंगे।

इसके अलावा, मैं/हम टेंडर संख्या आरईसी/आईटी/93/ कंप्यूटर(स्क्रेप)/2008/648 दिनांक 02.09.2011 के अधीन आरईसी से ली गई सामग्री के संबंध में पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित (प्रबंधन, रखरखाव और चारदीवारी से बाहर ले जाने) नियमावली, 2008 (जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी शामिल है) के किसी और/या कुछ और/या सभी प्रावधानों का पालन न करने के कारण आरईसी को होने वाली क्षति की पूर्ति करने का भी वचन देता हूँ/देते हैं।

भवदीय,

(हस्ताक्षरः)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

नाम :

पता :

संपर्क संख्या :

कंपनी की सील